

RAJ RISHI BHARTRIHARI MATSYA UNIVERSITY, ALWAR

(Temporary Office : Girls Hostel Building, Babu Shobha Ram Govt. Arts College Campus, Alwar)

➡ Phone : 0144-2730321, 2730327, 2980046 FAX : 0144-2730321

Website: www.rrbmuniv.ac.in,

No. RRBMU/ALW/2023/326

Date: - 21.08.2023

E-Bid Inviting Notice

(NIB No 03 /2023-24)

Supply/Hiring of Skilled, Semiskilled, Unskilled and High Skilled manpower on job basis through service provider (contractor). The bid may be downloaded From 21-08-2023 AT 2.00 PM and the last date of submission of the bid is 02-09-2023 AT 11.00 AM Details of the same may be seen on www.eproc.rajasthan.gov.in or www.sppp.rajasthan.gov.in or University website www.rrbmuniv.ac.in

Registrar





RAJ RISHI BHARTRIHARI MATSYA UNIVERSITY, ALWAR

(Temporary Office : Girls Hostel Building, Babu Shobha Ram Govt. Arts College Campus, Alwar) FAX: 0144-2730321

Phone: 0144-2730321, 2730327, 2980046

Website: www.rrbmuniv.ac.in,

"NOTICE INVITING TENDER (ON LINE)"

DATE 21.08.23

(SR FORM-14, RULE 68 OF GFAR-II) RAJ RISHI BHARTRIHARI MATSYA UNIVERSITY, ALWAR, Alwar invites e-tender/bid under Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 & Rules, 2013 for supply/hiring of Man Power services from experienced, technically and financially sound & reputed bidders fulfilling eligibility criteria through e-tendering system as described in the bid document as appended below:-

S.No.	Name of goods/services	Specifications/sc ope of work	Estimated cost	EMD	Tender fee	RISL Processing fee
1	Cook, Gardner, Sweeper, chowkidar, clerk	Skilled, Semiskilled Unsilled and High Skilled manpower		Rs 80000/-	Rs. 1000/-	Rs. 1000/-
		F				

Important dates for downloading and submitting the e-tender are as follows:-

important dates for downloading and submitting d	
Date and time of downloading of bid document	21-08-2023(2:00 PM) to 02-09-2023 (11:00 AM)
Date and time of on-line submission of bid	21-08-2023(2:00 PM) to 02-09-2023 (11:00 AM)
Pre bid meeting(AT FC Office)	25 -08-2023 At 01.00 PM
Last date of physical submission of Bid Security, Tender fee and RISL processing fee	02-09-23 (12.00PM)
Date and time of on-line opening of Prequalification/Technical Bid	02-09-23 (01:00 PM)
Date and time of on-line opening of Price Bid in the office of Comptroller, RAJ RISHI BHARTRIHARI MATSYA UNIVERSITY, ALWAR	To be informed separately

Instructions to bidder:-

- The bid documents, terms and conditions may be seen and downloaded from the web site www.eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.raj.nic.in, www.rrbmuniv.ac.in.
- The Interested bidders may submit their on-line bids along with separate Demand Drafts drawn in favour of "RAJ RISHI BHARTRIHARI MATSYA UNIVERSITY, ALWAR, Alwar " payable at toward Alwar s the cost of Tender Fee (nonrefundable), Bid Security and RISL Processing Fee (Non-refundable) demand draft shall be in favour of "Managing Director, RISL" payable at Jaipur.
- The above demand drafts must reach physically in the office of Procurement Entity, RRBM University Alwar on or before last date as mentioned above failing which bids shall not be considered.
- Bidders, having digital signature certificate (DSC) as per IT Act, 2000 to sign their electronic Bids, shall submit their offer on-line on www.eproc.rajasthan.gov.in with in stipulated time and date mentioned herein above. Bids shall not be accepted personally. The Bids will be opened on the same date and time before purchase committee in the presence of bidder or their authorized representative who may be present.
- In the event of the specified dates being a holiday, the activities assigned on that date may be carried out on next working day on the same time.
- RAJ RISHI BHARTRIHARI MATSYA UNIVERSITY, ALWAR is not bound to accept the lowest bid and may reject any bid or any part of the bid without assigning any reason therefore.
- 7. Bids received after the prescribed time and date will not be considered.
- The bidders shall have to submit GST Registration number.
- Validity: 90 days from the opening of Technical bid.
- 11. In case of any query, the undersigned (Procurement Entity) may be contacted at 0144-2730321, 2730327, 2980046 (

(Registrar Procurement Entity





RAJ RISHI BHARTRIHARI MATSYA UNIVERSITY, ALWAR
(Temporary Office: Girls Hostel Building, Babu Shobha Ram Govt. Arts College Campus, Alwar)
Phone: 0144-2730321, 2730327, 2980046
FAX: 0144-2730321

Website: www.rrbmuniv.ac.in,

TECHNICAL BID Part-A

1.	The Disputed The Co Date	Bid for supplying of skilled, semiskilled, unskilled, high skilled manpower on job basis through service provider(contractor) Registrar, RAJ RISHI BHARTRIHARI MATSYA UNIVERSITY,
2.	Address of Procurement Entity	ALWAR Contact No 0144-2730321
3.	Name and address of the bidder submitting the tender (Photo ID Proof shall be attached)	
4.	PAN Card No. (Copy shall be enclosed)	
5.	GST registration no. (Copy shall be enclosed)	
6.	The tender fee amounting to Rs.1000/-has been deposited vide Demand Draft in favour of Registrar, RAJ RISHI BHARTRIHARI MATSYA UNIVERSITY, ALWAR	Demand Draft Number Bank Dated
7.	The Bid Security amounting to Rs. 80000/- has been deposited vide Demand in favour of Registrar, RAJ RISHI BHARTRIHARI MATSYA UNIVERSITY,	Demand Draft Number Bank Dated
8.	The RISL Processing Fee amounting to Rs.1000/- in favor of Managing Director RISL, Jaipur	Demand Draft Number Bank Dated
9.	Form A, B, C & D as prescribed in Raja duly signed shall be enclosed.	asthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013

Signatu	re of	the
bidder	with	Seal

Date:.						
Place:						



TECHNICAL BID Part-B

Eligibility Criteria

_	Enginity Criteria	مد	_	
क . सं.	विवरण .'	श्रेणी	, अधिकतम अंक	प्राप्तांक
		अनिवार्य	25	
1	संस्था का गत वर्षों का टर्न ओवर वर्ष	आनवाय	25	
	2010 20		a .	
	1			,
	न्यूनतम गत तीन वर्षों का औसत वार्षिक टर्नओवर 40.00 लाख अनिवार्य (सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणितं लाम हानि खाता एवं चिटठा की प्रति / सीए द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट संलगन की जावे)			
	राशि रू. 40.00 लाख से 70.00 लाख तक— 10 अंक			
	राशि रू. 70.00 लाख से अधिक किन्तु 90.00 लाख तक— 15अंक			
	राशि रू. 90.00 लाख से अधिक – 25 अंक			
		2 (1
2	संस्था को राजकीय विभागों / उपक्रमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं में गत 03 वर्षो	अनिवार्य	25	2
	वर्ष 2020—21	600		1.
	वर्ष 2021—22		N	
	वर्ष 2022-23	4 /		†
	उच्च कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल व्यक्ति उपलब्ध कराने का अनुभव प्रमाण-पत्र कार्मिको			
	की संख्या के साथ अनिवार्य (प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण की प्रति संलग्न की जावे)।			0
	नोट:- कार्यादेश मान्य नहीं होगा।			. "
	40 व्यक्ति उपलब्ध कराने का अनुभव होने पर 10 अंक			
	40 से अधिक किन्तु 75 व्यक्ति उपलब्ध कराने का अनुभव होने पर 15 अंक			
	75 से अधिक व्यक्ति उपलब्ध कराने का अनुभव होने पर 25 अंक		9 1	
	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उल्मूलन) अधिनियमन, 1970 रूप में श्रम	अनिवार्य	10	4
3	राजस्थान अनुवाबत अनवर (नवन न ५५ वर दूर) वाकार न ५	SII 1313		
	(पंजीयन प्रति संलग्न की जावे)		- 6	
_	भविष्य निधि(पी.एफ.) विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र	अनिवार्य	10	
4	अनिवार्य (पंजीयन प्रति संलग्न की जावे)			g.k.
	जानपाय (पंजायन प्राप्त रास्त न का कान)			
5	जी.एस.टी हेतु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र	अनिवार्य	10	
5	(पंजीयन प्रति संलग्न की जावे)			
6	कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी) का पंजीयन प्रमाण पत्र	अनिवार्य	10	
0	(पंजीयन प्रति संलग्न की जावे)			0.
	•			-
7	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958			
•	्या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत·			0
	। इंग्डियन पाटनराराप एक्ट 1932 के अत्यापा या			
	इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत	अनिवार्य	10	
	प्रमाण पत्र (पंजीयन प्रति संलग्न की जावे)			

Enclosures:-

- Copy of Photo ID Proof, PAN Card, GST Registration (i)
- (ii) Copy of Audited Profit & Loss a/c and Balance sheets of last three years
- Work experience certificate issued by the competent authority. (iii)
- (iv) Form A, B, C&D
- Bid Security, Tender Fee, Processing Fee as above (v)

नोट-

- 1. न्यूनतम 70 अंक प्राप्त होने एवं उपर्युक्तानुसार अनिवार्य अर्हता पूर्ण होने पर ही बोलीदाता की वित्तीय बिड खोलने हेतु पात्र निविदादाता माना जावेगा।
- 2. उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रमाण हेतु वांछित प्रतियां संलग्न किया जाना आवश्यक है। 3. तकनीकी बिड में सफल बोलीदाता की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
- 4. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक दरों से कम दरे अंकित किये जाने पर बोली निरस्त योग्य होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर



RAJ RISHI BHARTRIHARI MATSYA UNIVERSITY, ALWAR

(Temporary Office: Girls Hostel Building, Babu Shobha Ram Govt. Arts College Campus. Alwar)

Phone: 0144-2730321, 2730327, 2980046 FAX: 0144-2730321

Website: www.rrbmuniv.ac.in,

राजस्थान सरकार, वित्त (G&T) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक-एफ-2 (1) वित्त / एसपीएफसी / 2017 / जयपुर, दिनांकः 30 / 04 / 18 अनुसार राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम,2012 एवं नियम 2013के अन्तर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपापनों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

1. बोलीदाता / संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा :--

क्र.सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,1962				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5	आय कर (पैन नंबर)				
	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				
7	प्रमाणित बैंक खाता पासबुक/स्टेटमेन्ट की छायाप्रति				

2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा ।

3. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे । पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संख्या को प्रस्तुत की जायेगी ।



- 4. यदि उपापन संस्था को अंशकालिक ((Part -time) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अविध के लिए आवश्यकता हो तो ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अविध के लिए ली जायेगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरुद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय—समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी ।
- 5. संवेदक द्वारा नियोजित श्रिमको को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा । सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रिमकों के बैक खातें में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा । श्रिमकों के बैक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
- 6. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों की मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा
- 7. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अविध के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय—समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा
- 8. संवेदक को राज्य/ केन्द सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा. जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा । संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ और ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा करावे जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
- 9. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे जिन पर संवेदक का नाम सविदा अविध कार्य की प्रगति, हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धित प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
- 10. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
- 11. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय.राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा कराने करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर(GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
- 12. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किये गये दिशा—निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही

होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

- 13. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 14. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
- 15. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने / ई.एस.आई. करवाने / सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 16. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।
- 17. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजंदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जावेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले सम्बन्धित श्रमिकों को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
- 18. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।
- 19. निविदादाता के पक्ष में श्रम विभाग से श्रम प्रावधानों के अंतर्गत लाईसेंस जारी होना आवश्यक है। लेबर लाईसेंस (अनुज्ञा पत्र) की सत्यापित प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। निविदादाता को अनुज्ञा पत्र की शर्तों की पालना करनी आवश्यक होगी। इसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
- 20. निविदा ऑनलाईन ही स्वीकार की जायेगी।
- 21. सेवाओं का समय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय के अनुसार होगा, किन्तु आवश्यक होने पर समय से पूर्व अथवा पश्चात तक सेवायें ली जा सकती है। निश्चित कार्य अवधि के अतिरिक्त अगर मेनपावर (मानव संसाधन) से कार्य लिया जाता है, तो उसका अतिरिक्त पारिश्रमिक नियमानुसार देय होगा। जिसका बिल अलग से प्रस्तुत करना होगा।

- 22. संवेदक को नियत अविध में नियमानुसार (नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपेर पर) अनुबन्ध सम्पादित
- 23. संविदा एजेन्सी को श्रमिकों को बैंक खाते के माध्यम से नकद रहित (Cashless) भुगतान करना
- 24. संविदा एजेन्सी को श्रमिकों को प्रमाणित उपस्थिति के आधार पर भुगतान करना होगा तथा बिल के साथ उपस्थिति पंजिका एवं भुगतान पंजिका की फोटोप्रति प्रस्तुत करनी होगी तथा उपस्थिति एवं भुगतान रिजस्टर को श्रम निरीक्षक, भविष्य निधि निरिक्षक अथवा राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण हेतु मांगे जाने हेतु तैयार रखना होगा, ताकि निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जा सकें।
- 25. संविदा एजेन्सी को केन्द्र व राज्य सरकार के श्रम विभाग के नियमों तथा न्यूनतम मजदूरी के अन्तर्गत देय पारिश्रमिक नियमों के पालन करने का समस्त उत्तरदायित्व संवदेक का होगा।
- 26. मासिक मजदूरी राशि की गणना 26 दिवस की अविध मानकर की जावेगी। माह के दौरान आने वालें सार्वजनिक अवकाश / विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अवकाश का भुगतान देय होंगे एवं इस हेतु कोई कटौती नहीं की जावेगी। अनुपस्थिति दिवसों की मासिक राशि में से कटौति व अन्य प्रयोजन हेतुं दैनिक राशि की गणना मासिक राशि में 26 का भाग देकर की जावेगी।
- 27. संविदा एजेन्सी द्वारा सेवा के दौरान यदि किसी प्रकार की विश्वविद्यालय को हानि होती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
- 28. आदेशित सेवा उपलब्ध न कराने की स्थिति में इसे अनुबंध का खंडन माना जायेगा एवं विश्वविद्यालय प्रशासन का धरोहर राशि जब्त करने सहित राजस्थान लोक उपापन में पारदिर्शिता अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- 29. धरोहर राशि को निम्नलिखित स्थितियों में जब्त कर लिया जायेगा -
 - जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकृत करने से पूर्व प्रस्ताव वापस लेता है अथवा उसमें संशोधन (Modification) करता है।
 - जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर अनुबंध नहीं करता है।
 - जब निविदादाता द्वारा निर्धारित अविध में प्रतिभूति राशि जमा नहीं करायी जाती है।
- 30. सफल निविदादाता द्वारा निविदा के समय जमा कराई गई धरोहर राशि को देय 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि में समायोजित कराया जा सकेगा।
- 31. प्रतिभूति राशि पर संस्थान द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 32. यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरुद्ध है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही को निरस्त कर दिया जायेगा।
- 33. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (संस्था / संवेदक) के लिए अलवर स्थित सक्षम न्यायालय न्याय क्षेत्र होगा।
- 34. स्वीकृत दरो पर सेवाओं की संख्या आवश्यकतानुसार कम या अधिक की जा सकती है।



- 35. अनुबंध की शर्तो तथा किसी अन्य संबंधित मामलो में निर्वचन के लिए राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर के माननीय कुलपित महोदय का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
- 36. अनुबंध की अवधि एक वर्ष होगी जिसे कार्य संतोषजनक पाये जाने पर आगामी एक वर्ष के लिए आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।
- 37. संविदा के अन्तर्गत कार्य कर रहे श्रमिको की किसी भी प्रकार की दुर्घटना / हानि की स्थिति में भरपाई की समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
- 38. संवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी बाल श्रमिक (18 वर्ष की आयु से कम). अवांछनीय व्यक्ति अथवा असामाजिक तत्व उसके द्वारा नियोजित न हो।
- 39. अनुबन्धकर्ता को निर्धारित संख्या में श्रमिक आपूर्ति प्रतिदिन कराने होंगे। निर्धारित संख्या में आपूर्ति न कराने की स्थिति में न्यूनतम राशि रू. 500/- प्रति श्रमिक/प्रतिदिन शास्ती आरोपित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुबन्धकर्ता की जोखिम एवं खर्चे पर अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करने को स्वतंत्र होगा।
- 40. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिको की न्यूनतम मजदूरी दरे राजस्थान सरकार, श्रम विभाग द्वारा संशोधित होने की तिथि से तदनुसार विश्वविद्यालय में भी प्रभावी मानी जावेगी।
- 41. न्यूनतम निविदा दरें एक से अधिक निविदा दाताओं की समान प्राप्त होने की स्थिति में न्यूनतम दर के साथ निविदा की दरों की व्यवहारिकता उसके पूर्व किये गये कार्यों का अनुभव ओर उसके पंजीयन की प्रमाणिकता आदि को भी ध्यान में रखा जायेगा। विश्वविद्यालय की उपापन समिति स्वविवेक से परीक्षण कर इस कार्य हेतु पात्र संस्थाएं कार्य करने की क्षमता, वार्षिक टर्नओवर, स्थानीय परिस्थितियाँ, कार्य अनुभव आदि को मध्यनजर रखते हुए गुणअवगुण के आधार पर किसी भी न्यूनतम निविदादाता की निविदा स्वीकृति का निर्णय लेने के लिये स्वतंत्र होगी। इस संबंध में कोई वाद—विवाद स्वीकार नहीं होगा और न ही विश्वविद्यालय की उपापन समिति अन्य निविदादाताओं को इस कम में कोई स्पष्टीकरण देने के लिये बाध्य होगी।
- 42. मानव श्रम की आपूर्ति कुलपति आवास, वर्तमान विश्वविद्यालय परिसर एवं नवीन परिसर हल्दीना हेतु होगी।
- 43. मानव श्रम की संख्या प्रति माह आवश्यकतानुसार कम/अधिक की जा सकती है।
- 44. समस्त नियम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के लागू होगें।
- 45. सर्विस चार्ज की राशि आयकर एवं जीएसटी के स्त्रोत पर की जाने वाली कटौती को ध्यान में रखकर दी जावें। जो कि श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रमिक दर जो निविदा प्रपत्र के BOQ में अंकित है, कॉलम संख्या (4+5+6 के योग)के 3 प्रतिशत से कम नहीं होगी। कम होने पर दरें निरस्त कर दी जायेगी

AnyScanner

उपरोक्त शर्ते मेरे द्वारा पढ ली गई है जो मुझे स्वीकार है।

(हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर)
नाम
मोबाईल नम्बर

Annexure A: Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest.

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation:
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any correction including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) Disclose conflict of interest, if any; and
- (h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;
- a. Have controlling partners/shareholders in common; or
- b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. Have the same legal representative for purpose of the Bid; or
- d. Have the relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access have to information about or influence on the bid of another Bidder, or influence the decision of the procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specification of the Goods, Works or Service that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Date:	Signature of bidde
Place:	Name:
1.77.76.77.1	Designation:
	Address:

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications Declaration by the Bidder

		and by the bluder	
under Se 1. I 2. I	cto their Notice Inviting Bids ection 7 of Rajasthan Transpar. We possess the necessary procompetence required by the El/We have fulfilled my/our of Government or any local auth I/We have are not insolvent affairs administrated by a	rofessional, technical, financial and adding Document issued by the Indigation to pay such of the taxes thority as specification in the Bid to in receivership, bankrupt or court or a judicial officer, no	d
4.	I/We do not have, and our offence related to my/our misrepresentations as to my period of three years precedule been otherwise disqualified I/We do not have a conflict Document, which material a	r directors and officers not have professional conducted or to all your qualifications to enter in ding the commencement of this pursuant to debarment proceeding of interest as specification in the	we, been convicted of any criminal he making of false statement or to a procurement contract within a is procurement process, or not have
	Date:		Name:

Place:

Designation:

Address:

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and the address of the first Appellate Authority is Hon'ble Vice-Chancellor,

The designation and the address of the Second Appellate Authority is Finance Committee, RAJ RISHI BHARTRIHARI MATSYA UNIVERSITY, ALWAR.

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the act or the rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Providing that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filled only by a Bidder who has participated in procurement proceeding:

Providing further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filled only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as
 expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date
 of the appeal.
- (2) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidder Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(3) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement;

- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) Cancellation of a procurement process;
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(4) Form of Appeal

- (a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(5) Fee for Filling Appeal

- (a) Fee for first appeal shall be two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

0

(6) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be upon filing of appeal, shall issued notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date of fix hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be shall,-

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public

Procurement Portal.

٢	٦	-	to	
ı	,	а	w	

Place:

Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:

Annexure D: Additional Conditions of Contract 1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, that Procuring Entity will correct arithmetical

- errors during evaluation of Financial Bids on the following basis: If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quality, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion in the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be
- ii. If there is a error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case in the amount in . figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accepted the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Deceleration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to very Quantities.

- At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit price or other terms & conditions of the Bid and the conditions of contract.
- If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than (ii) the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of
- In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity (iii) shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fail to do so, the Procurement Entity . shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among one than more Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured fro the Bidder. whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

at	e:	
P	ace:	

Signature of bidder Name:

Designation: Address:



123

RAJ RISHI BHARTRIHARI MATSYA UNIVERSITY, ALWAR (BOQ)

(To be submitted on-line)

- 1. Name of Work:- Supply of Unskilled, Semi Skilled, Skilled & High Skilled manpower on job basis through service provider(contractor)
- 2. Name of Bidder:-
- 3. Full Address:-
- 4. Telephone No .:-
- 5. NIT No.-F4()/GAD/UOK/2023/..... Dated
- 6. Work Description :- Annual Rate contract for one year

S.No.	Description	Qty.	Estimated Labour Rate (As per Minimum Wages act)	Provident Fund @ 13.00%	ESI. (@ 3.25	Service Charges for providing of Services	Total Amount in Words
1	2	3	4	5	6	7	8
	Skilled	18.	Rs7358/- Per Month	957	239		
2-	Un Skilled	20	Rs. 6734/- Per Month	875	219		
3.	High Skilled	01	8658/- Per Month	1126	281	6	8 7

नोट:- सर्विस चार्ज की राशि आयकर एवं जीएसटी के स्त्रोत पर की जाने वाली कटौती को ध्यान में रखकर दी जावें। जो कि श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रमिक दर जो निविदा प्रपत्र के BOQ में अंकित है, कॉलम संख्या (4+5+6 के योग)के 3 प्रतिशत से कम नहीं होगी। कम होने पर दरें निरस्त कर दी जायेगी

Signature of the Bidder with seal

